दिनाक 13.06.2022
प्रेस विज्ञप्ति 13/2022

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद रायबरेली/थाना ऊँचाहार

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 12.06.2022 को थाना ऊँचाहार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चडरई चौराहा के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त शेषकुमार को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद रायबरेली के विभिन्न थानो में चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 04 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना ऊँचाहार पर पंजीकृत मु0अ0सं0 324/2022 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना ऊँचाहार पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शेषकुमार निवासी सरवन थाना फुरसतगंज जनपद अमेठी

जनपद मीरजापुर/थाना चुनार

- **15 हजार का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 13.06.2022 को थाना चुनार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना चुनार क्षेत्रान्तर्गत जुमई तिराहा से अभियुक्त 1—रोहन को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है। अभियुक्त रोहन के विरूद्ध जनपद मीरजापुर, गाजीपुर के विभिन्न थानों में सी0एस0 एक्ट के कई अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना अदलहाट पर पंजीकृत मु0अ0सं0–208/21, धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना चुनार पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रोहन निवासी देवचन्दपुर थाना सैदपुर जनपद–गाजीपुर

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना पीजीआई

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 13.06.2022 को थाना पीजीआई पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सेक्टर–8 अण्डरपास के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त अर्जुन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 04 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना पीजीआई पर पंजीकृत मु0अ0सं0 204/2022 धारा 392/411/34 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना पीजीआई पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—अर्जुन निवासी राजाजीपुरम थाना तालकटोरा कमिश्नरेट लखनऊ।

<u>बरामदगी</u>

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस।

<u>कमिश्नरेट लखनऊ/थाना पीजीआई</u>

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 20 हजार रूपये नगद बरामद**

दिनांक 13.06.2022 को थाना पीजीआई पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बरौली नहर के पास से अभियुक्त प्रेम मोहन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी के 20 हजार रूपये नगद बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके पास से बरामद रूपया थाना पीजीआई क्षेत्रान्तर्गत चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना पीजीआई पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—प्रेम मोहन निवासी रसूलपुर जरहा थाना इन्द्रानगर जनपद लखनऊ।

<u>बरामदगी</u>

1—चोरी के 20 हजार रूपये नगद।

जनपद बांदा/थाना कमासिन

- **09 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 35 लाख रूपये कीमत के 02 कुन्तल 86 किलोग्राम अवैध गांजा**
- **01 ट्रक, 01 बोलेरो, 01 इको स्पोर्ट कार बरामद**

दिनांक 13.06.2022 को थाना कमासिन व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जामू तिराहा के पास चेकिंग के दौरान 09 अभियुक्तों 1–राजेन्द्र उर्फ बाला 2–हरिशंकर 3–कमल किशोर 4–सतीश कुमार 5–घनश्याम उर्फ पिन्टू 6–वीरेन्द्र 7–कुलदीप कुमार 8–राजेश 9–महेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 35 लाख रूपये कीमत के 02 कुन्तल 86 किलोग्राम अवैध गांजा, 01 ट्रक, 01 बोलेरो, 01 इको स्पोर्ट कार बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना कमासिन पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राजेन्द्र उर्फ बाला निवासी पल्हरी थाना बिसण्डा जनपद बांदा।

2–हरिशंकर निवासी पल्हरी थाना बिसण्डा जनपद बांदा।

3–कमल किशोर निवासी पल्हरी थाना बिसण्डा जनपद बांदा।

4–सतीश कुमार निवासी पल्हरी थाना बिसण्डा जनपद बांदा।

5–घनश्याम उर्फ पिन्टू निवासी गोड़ा थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट।

6–वीरेन्द्र निवासी कस्बा व थाना अतर्रा जनपद बांदा।

7–कुलदीप कुमार निवासी कस्बा व थाना बिसण्डा जनपद बांदा।

8–राजेश निवासी भमरा थाना सेमरिया जनपद रींवा मध्यप्रदेश।

9–महेश निवासी तेलारी थाना चेनारी जनपद रोहतास बिहार।

बरामदगी

1—लगभग 35 लाख रूपये कीमत के 02 कुन्तल 86 किलोग्राम अवैध गांजा।

2—01 ट्रक, 01 बोलेरो, 01 इको स्पोर्ट कार।

जनपद कुशीनगर/थाना तरयासुजान

- **01 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार**
- **लगभग 21 लाख रूपये कीमत का 1 कुन्टल 40 किलोग्राम अवैध गांजा**
- **01 पिकप वाहन बरामद**

दिनांक 13.06.2022 को थाना तरयासुजान व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर माधोपुर बुजुर्ग रिलायंस पेट्रोल पम्प के पास से अभियुक्त 1—दीपक कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 21 लाख रूपये कीमत का 1 कुन्टल 40 किलोग्राम अवैध गांजा, 01 पिकप वाहन बरामद हुआ।

इस सम्बन्ध में थाना तरयासुजान पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—दीपक कुमार निवासी सा0 बाघाचौर थाना तरयासुजान जनपद कुशीनगर।

बरामदगी

1— लगभग 21 लाख रूपये कीमत का 1 कुन्टल 40 किलोग्राम अवैध गांजा।

2—01 पिकप वाहन।

➢ **<u>जनपद बस्ती/थाना पुरानी बस्ती (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तो को 07–07 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ/विशेष न्यायाधीश(ई0सी0 एक्ट) जनपद बस्ती द्वारा थाना पुरानी बस्ती पर पंजीकृत अभियोग में धारा 307 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–गुड्डू 2–मुख्तार खाँ 3–भोला 4–राकेश को 07–07 वर्ष के सश्रम कारावास व 10–10 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

<u>एस0टी0एफ0–हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक कराने वाले अन्तर्राज्यीय गैंग का 01 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार।</u>

दिनांक 13–06–2022 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश व हिमाचल प्रदेश पुलिस को थाना गगल जनपद कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत मु0अ0सं0 41/2022 धारा 420, 120बी भादवि में वांछित अन्तर्राज्यीय प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर लीक करने वाले गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः</u>

1. देनदुजय जैसवार उर्फ पिन्टू नि0 ग्राम बीरमपुर, थाना केराकत, जिला जौनपुर।

<u>बरामदगीः</u>

02 अदद मोबाइल फोन

<u>गिरफ्तारी का स्थान/दिनांक व समय –</u>

पुलिस लाईन चौराहा, थाना कैण्ट, जनपद वाराणसी दिनांक 13.06.2022 समय 12.05 बजे।

दिनांक 27–03–2022 को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित हिमाचल प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती की लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र परीक्षा से एक दिन पूर्व ही लीक कराकर अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराया गया था। जिससे परीक्षा की शुचिता भंग करते हुए अवैध लाभ प्राप्त किया गया, जिसके सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश के थाना गगल, जनपद कांगडा में मु0अ0सं0 41/2022 धारा 420, 120बी भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया। उक्त मुकदमें में अब तक कई अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उक्त गैंग के कई सक्रिय सदस्यों का जनपद वाराणसी व आसपास के जनपदों में होने की सूचना को हिमाचल प्रदेश पुलिस के उच्चाधिकारियों द्वारा एस0टी0एफ0 से साझा करते हुए आवश्यक सहयोग मांगा गया था। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 एस0टी0एफ0 वाराणसी इकाई की एक टीम निरीक्षक अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही कर रही थी। जिस क्रम में पूर्व मे दिनांक 17–05–2022 को अभियुक्तगण शिवबहादुर सिंह पुत्र स्व0 उमाशंकर सिंह नि0 ग्राम मुजरा, पोस्ट कुसया, थाना जलालपुर, जनपद जौनपुर तथा अखिलेश यादव पुत्र विन्ध्याचल यादव नि0 ग्राम खुलासपुर, थाना करण्डा, जनपद गाजीपुर को एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी व हिमाचल प्रदेश पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उसी क्रम में अन्य अभियुक्तो के सम्बन्ध मे भी हिमाचल प्रदेश पुलिस और एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 13.06.2022 को विश्वस्त सूत्र से जानकारी प्राप्त हुई कि गिरोह का सक्रिय एवं वांछित सदस्य देनदुजय जैसवार उर्फ पिन्टू उपरोक्त पुलिस लाईन चौराहा जनपद वाराणसी पर खडा है। यदि शीघ्रता किया जाये ताये तो पकडा जा सकता है, जिस पर हिमाचल प्रदेश पुलिस और एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी की एक टीम द्वारा पुलिस लाईन चौराहा पहुच कर उक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई।

पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि वह अन्तर्राज्यीय प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर लीक करने वाले बेदीराम का घनिष्ठ सहयोगी तथा उसके गैंग का सक्रिय सदस्य रहा है। जिसके द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक

कराकर परीक्षा से पूर्व ही अभ्यर्थियों को पढ़वाया जाता था और उनको उत्तर बता दिया जाता था। अभियुक्त द्वारा हिमाचल प्रदेश मे पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के सम्बंध में पूछताछ किया गया तो उसके द्वारा बताया गया कि उसने और शिवबहादुर ने गिरोह के साथ मिलकर हिमाचल प्रदेश पुलिस में आरक्षी भर्ती की लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र उपलब्ध होने पर 11 अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र चंडीगढ़ में परीक्षा से एक दिन पूर्व ही हल करा दिया गया था। इस काम से अभी तक 07 लाख रूपये प्राप्त हुए है। इस सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश में अभियोग पंजीकृत होने तथा लोगों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में अभियुक्त उपरोक्त को जानकारी हो गयी थी, इसी डर से यह लुक–छिप कर वाराणसी मे रह रहा था कि आज पुलिस लाईन चौराहे पर आया था कि एस0टी0एफ0 टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया।

उपरोक्त अभियुक्त को थाना कैण्ट, जनपद वाराणसी में दाखिल कर अग्रिम विधिक कार्यवाही व ट्रांजिस्ट रिमांड आदि की कार्यवाही हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा की जा रही है।

————————